

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-३/२०१८/

लखनऊ दिनांक 25 जून, 2018

यू०पी० नीट यू०जी०-२०१८ की प्रथम चक की ऑन लाईन काउंसिलिंग से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं के एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु यू०पी० नीट यू०जी० २०१८ की प्रथम चक की ऑन लाईन काउंसिलिंग से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराये जाने की महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत हैं :-

ऑल इण्डिया रैंक	नीट २०१८ में प्राप्त प्राप्तांक	अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थिति होने की तिथि
६० से २९९१४	६६२ से ४८०	२६ जून २०१८
२९९३८ से १०१९८१	४७९ से ३७१	२७ जून २०१८
१०२०१५ से १९८९७५	३७० से २८८	२८ जून २०१८
१९९०३७ से ३४५२६४	२८७ से २०७	२९ जून २०१८
३४५३५३ से ७५७५१३	२०६ से ९६	३० जून २०१८

- उपर्युक्तानुसार अभ्यर्थी अपनी ऑल इण्डिया रैंक के आधार सम्मुख उल्लिखित तिथि पर अभ्यर्थी द्वारा चुने गये नोडल सेक्टर पर स्वयं उपस्थित होना होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अभिलेखों के सत्यापन हेतु किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह दिनांक ३० जून, २०१८ को अपने द्वारा चुने गये नोडल सेक्टर पर उपस्थित हो सकता है।
- अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों (शैक्षणिक/आरक्षण) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अभ्यर्थी ने जो प्रिंट आउट प्राप्त किया था, उक्त को अभिलेखों के सत्यापन के समय दिखाना अनिवार्य होगा।
- सिक्योरिटी धनराशि (रु० ३०,०००/- अथवा रु० २,००,०००/-) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० देय लखनऊ के पक्ष में बना हो, को मूलरूप में जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को अपना नाम, अनुक्रमांक, ऑल इण्डिया रैंक तथा मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं विस्तृत विवरण हेतु समय-समय पर वेबसाईट <https://upneet.gov.in> & www.updgm.in तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित यू०पी० नीट यू०जी० २०१८ का ब्रोशर अवश्य देखें।

महानिदेशक

संख्या-एम०ई०-३/२०१८/2469

तददिनांक/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-४
4. निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट <https://upneet.gov.in> पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
5. रजिस्ट्रार, के०जी०एम०यू०, लखनऊ, रजिस्ट्रार, उ०प्र०आ०वि० सैफई, निदेशक, डा० रा०म०लो०ई०मे०सा०, लखनऊ, तथा प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
6. सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
7. शिविर सहायक, महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(के०के०गुप्ता)
महानिदेशक